न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला टीकमगढ (म0प्र0)
(पीठासीन – अशरफ अली)

Registration ST No. 223/2022
Filing No. 6191/2022
CNR No. MP3601-006792-2022
Filing Date 04/05-11-2022

(निर्णय दिनांक 14.05.2026)

पुलिस थाना बुडेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के अपराध क्रमांक 174/2021 अंतर्गत धारा 452, 294, 323, 325, 506 भा.दं.सं. 1860 एवं सुश्री चेतना रूसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1292/2022 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 01.11.2022 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

परिवादी		म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बुडेरा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री योगेश खरे, अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1.	हरिराम यादव तनय रामचरन यादव, उम्र 40 वर्ष,
	2.	घंसू उर्फ घनश्याम यादव तनय नथुआ यादव, उम्र 51 वर्ष,
	3.	मनमोहन यादव तनय रामचरन यादव, उम्र 51 वर्ष,
	4.	जमना यादव तनय गुमचा यादव, उम्र 55 वर्ष,
		समस्त निवासी ग्राम नन्हीटेहरी, थाना बुडेरा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री नेत्रप्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता

<u>प्रारूप–ड</u>

अपराध की तारीख	22.06.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	28.10.2021
अभियोगपत्र की तारीख	01.08.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	21.06.2023

..........2

साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	21.08.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	09.05.2026
निर्णय की तारीख	14.05.2026
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	14.05.2026

प्रारूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	हजारी लाल	फरियादी / सूचनाकर्ता
अ.सा.2	हरिबाई	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.3	कल्लोबाई	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.4	रमेश कुशवाहा	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.5	हरिराम कुशवाहा	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.6	डॉ. प्रशांत जैन	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.7	डॉ. बी.के.राय	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.8	चंदन सिंह	कायमीकर्ता
अ.सा.9	राजेन्द्र रावत	विवेचक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.1	हरिराम यादव	बचाव साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
......	....	....

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	एन.सी.आर.
2.	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर
3.	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	नक्शामौका
4.	प्रदर्श पी.4/अ.सा.6	चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट आहत हजारी
5.	प्रदर्श पी.5/अ.सा.6	चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट आहत हरिबाई
6.	प्रदर्श पी.6/अ.सा.7	प्रिसक्रिप्शन
7.	प्रदर्श पी.7/अ.सा.8	न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 20.10.2021
8.	प्रदर्श पी.8/अ.सा.9	जप्ती पत्रक बांस की लाठी
9.	प्रदर्श पी.9/अ.सा.9	जप्ती पत्रक बांस की लाठी
10.	प्रदर्श पी.10/अ.सा.9	जप्ती पत्रक बांस की लाठी
11.	प्रदर्श पी.11/अ.सा.9	धारा 41क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र
12.	प्रदर्श पी.12/अ.सा.9	धारा 41क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र
13.	प्रदर्श पी.13/अ.सा.9	धारा 41क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र
14.	प्रदर्श पी.14/अ.सा.9	धारा 41क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र

ख. प्रतिरक्षा

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी.1/अ.सा.1	पुलिस कथन साक्षी हजारी उर्फ खिल्ला
2.	प्रदर्श डी.2/ब.सा.1	क्रास प्रकरण की देहाती नालिस
3.	प्रदर्श डी.3 लगायत डी 8/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण के आहतगण की एम.एल.सी.
4.	प्रदर्श डी.9/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण की क्वेरी रिपोर्ट
5.	प्रदर्श डी.10/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण की क्वेरी रिपोर्ट हेतु आवेदन
6.	प्रदर्श डी.11/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण की एफ.आई.आर.
7.	प्रदर्श डी.12/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण का नक्शामौका
8.	प्रदर्श डी.13/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण का अभियोगपत्र
9.	प्रदर्श डी.14/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण के आहत राधे का जाति प्रमाणपत्र

..........4

10.	प्रदर्श डी.15 लगायत डी. 20/ब.सा.1	क्रॉस प्रकरण के आहतगण की एक्सरे रिपोर्ट

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
....	....	....

घ. आवश्यक वस्तुएं

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	आर्टीकल ए1	बांस की लाठी
2.	आर्टीकल ए2	बांस की लाठी
3.	आर्टीकल ए3	बांस की लाठी
4.	आर्टीकल ए1ए	एक्सरे प्लेट

(निर्णय)
(निर्णय दिनांक 14.05.2026 को घोषित)

1. आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 294, 323/34, 325/34, 506 भा.दं.सं. के आरोप इस आशय का लगाये गये हैं कि उन्होंने दिनांक 22.06.2020 को करीब 19:00 बजे फरियादी के घर गनेश नगर, ग्राम बुडेरा अंतर्गत थाना बुडेरा पर फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से उसके निवासगृह में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, सार्वजनिक स्थान अथवा उसके निकट फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला एवं आहत हरिबाई कुशवाहा के साथ मारपीट कर फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला को स्वेच्छया गंभीर उपहति एवं आहत हरिबाई कुशवाहा को स्वेच्छया उपहति कारित की और फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला को जान से खत्म करने की धमकी देकर मृत्यु या घोर उपहति का भय उत्पन्न कर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2020 को शाम करीब 07:00 बजे वह अपने घर पर था तभी गांव के हरिराम यादव, घनश्याम यादव, मनमोहन यादव, जमुना यादव आए और मुक्तिधाम की जमीन जोतने पर से गाली गुफ्तार करने लगे और बोले उसके भतीजे रमेश कुशवाहा ने मुक्तिधाम की जमीन क्यों जोती है। इसी बात पर उसे जमुना ने धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गया, गिरने से उसके बांए हाथ के पंजा में मूंदी चोट आई दर्द है। उसकी बहू हरिबाई कुशवाहा बचाने आई तो हरिराम यादव ने सिर में एक डंडा मार दिया, जिससे खून निकलने लगा। मौके पर उसका भतीजा हरि व रमेश ने आकर बीच बचाव किया।

4. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बुडेरा पर एन.सी.आर. 0218/2020 प्रदर्श पी 1 लेखबद्ध की गई। न्यायालय के आदेश पर थाना बुडेरा के अपराध क्रमांक 174/2021 अंतर्गत धारा 452, 294, 323, 325, 506, 34 भा.दं.सं. के तहत की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 पंजीबद्ध की गई थी। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.3 तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त एक–एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 8, 9 एवं 10 तैयार किये गये। आरोपीगण को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में सूचना पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी. 11 लगायत प्रदर्श पी. 14 दिये गये।विवेचना उपरांत आरोपीगण के अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गई। अपने आरोपी परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में आरोपीगण के द्वारा बताया गया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

6. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–

1. क्या दिनांक 22.06.2020 की शाम 07:00 बजे फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला के घर ग्राम बुडेरा थाना बुडेरा, जिला टीकमगढ़ में फरियादी खिल्ला एवं आहत हरिबाई कुशवाहा को चोटें आई

थीं, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति?

2. क्या फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला एवं आहत हरिबाई को आईं चोटें आरोपीगण द्वारा स्वेच्छयापूर्वक सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई थीं?
3. क्या आरोपीगण ने सार्वजनिक स्थान अथवा उसके निकट फरियादी को अश्लील गालियां सार्वजनिक स्थल पर देकर क्षोभ कारित किया?
4. क्या आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
5. क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला को उपहति करने के आशय से फरियादी के घर में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया?
6. दोषसिद्धि या दोषमुक्ति?
7. दंडादेश यदि कोई हो?

<u>:: सकारण निष्कर्ष ::</u>

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2</u> :–

7. इस संबंध में फरियादी हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 एवं हरिबाई अ0सा0–2, कल्लोबाई अ0सा0–3, रमेश अ0सा0–4, हरिराम अ0सा0–5 ने कहा है कि वे आरोपी जमुना, हरिराम, घंसू, मनमोहन एवं बाल अपचारी को जानते हैं। हजारी उर्फ खिल्ला ने कहा है कि मुक्तिधाम नाम की जमीन में जिसे आरोपीगण अपना बताते हैं। इस साक्षी ने कहा है कि तीन–चार साल पहले शाम 07:00 बजे वह अपने घर पर था, तभी सभी आरोपीगण लाठी लिए हुए आए और मां बहिन की गालियां देने लगे। इस साक्षी ने कहा है कि आरोपी जमुना ने उसे कोहनी मारी जिससे गिरने से उसका बांया हाथ टूट गया था और उसके चिल्लाने पर उसकी बहू हरिबाई अ0सा0–2 आई तो आरोपी हरिराम ने उसके सिर में लाठी मारी, जिससे खून बहने लगा। इस साक्षी ने कहा है कि सभी आरोपीगण ने उन लोगों की लातघूंसों से मारपीट की और उसके भतीजे हरिराम और रमेश ने आकर बीच बचाव किया तो आरोपीगण भाग गए। इस प्रकार का कथन हरिबाई कुशवाहा अ0सा0–2,

...........7

कल्लोबाई अ0सा0–3, रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम अ0सा0–5 ने किया है।

8. हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने कहा है कि जब वह, उसकी बहू, रमेश व हरिराम थाने जा रहे थे तो गनेशनगर चौराहे पर बालअपचारी मिला जिसने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार का कथन हरिबाई कुशवाहा अ0सा0–2, कल्लोबाई अ0सा0–3, रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम अ0सा0–5 ने किया है।

9. हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने यह भी कहा है कि जब वे थाने पहुंचे तो आरोपी हरिराम का भाई सरपंच मिला तो उसने कहा कि सालों मादरचोद तुम रिपोर्ट लेख कराओगे तो जान से खत्म कर देंगे। हरिबाई अ0सा0–2 ने कहा है कि बालअपचारी के पिता राजेन्द्र जो कि सरपंच है, थाने में मिला और वह डराने धमकाने लगा, जिससे वे लोग वहां से भाग आए थे और दूसरे दिन जाकर रिपोर्ट लेख कराई थी। कल्लोबाई अ0सा0–3 ने कहा है कि राजेन्द्र ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी और बाल अपचारी ने रिपोर्ट नहीं लिखने दी तो थाने जाकर दूसरे दिन रिपोर्ट की। रमेश कुशवाहा अ0सा0–4 ने कहा है कि राजेन्द्र जो कि सरपंच है, थाने में मिला और बोला कि जो करना है कर लो आरोपीगण का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और इसके बाद उन्होने थाने में रिपोर्ट लेख कराई थी। हरिराम अ0सा0–5 ने कहा है कि बालअपचारी के पिता राजेन्द्र ने रिपोर्ट नहीं लिखने दी वह कह रहा था कि रिपोर्ट करना है तो करो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे और इसके बाद उनकी रिपोर्ट लेख की गई थी।

10. हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने कहा है कि थाना बुडेरा में जो लेख कराई थी वह एन.सी.आर. प्रदर्श पी 1 है। इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट कायम नहीं की थी, जिसके बाद उसने न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय के आदेश पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 कायम की गई थी। उपनिरीक्षक चंदन सिंह अ0सा0–8 ने कहा है कि न्यायालय के आदेश प्रदर्श पी 7 प्राप्त होने पर उक्त आधार पर बुडेरा थाने का अपराध क्रमांक 174/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध की थी।

11. हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने कहा है कि उनका बडागांव अस्पताल में इलाज हुआ था और वहां के डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए

टीकमगढ जाने के लिए था, किंतु कोरोना काल चलने से उनका टीकमगढ अस्पताल में एक्सरे नहीं हुआ था, तो उसने राय अस्पताल में एक्सरे कराया था। इसी प्रकार का कथन हरिबाई अ0सा0—2, कल्लोबाई अ0सा0—3, रमेश अ0सा0—4 एवं रमेश अ0सा0—5 के द्वारा किया गया है।

12. डॉ. प्रशांत जैन अ0सा0—6 ने कहा है कि दिनांक 23.06.2020 को सी.एच.सी. बडागांव में आरक्षक द्वारा आहत हजारी उर्फ खिल्ला को जाए लाने पर रात्रि 01:40 ए.एम पर चिकित्सकीय परीक्षण किया था। इस साक्षी ने कहा है कि चिकित्सकीय परीक्षण में आहन ने बांए हाथ में दर्द की शिकायत बताई थी तो उसने एक्सरे की सलाह दी थी, उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि एम.एल.सी प्रदर्श पी 4 से होती है। इस साक्षी ने कहा है कि उसी रात्रि को आरक्षक द्वारा लाए जाने पर आहत हरिबाई का चिकित्सकीय परीक्षण 01:45 बजे किया था और आहत को चोट क्रमांक 1 सिर के दांए तरफ पैराईटल रीजन पर खरोच का निशान 0.5 सेमी पाया था। इस साक्षी ने कहा था कि चोट परीक्षण से 12 घंटे के अंदर सख्त एवं भौतरी वस्तु से आना संभव है। इस साक्षी के कथनों की पुष्टि एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 से होती है।

13. डॉ. व्ही.के.राय अ0सा0—7 ने कहा है कि वह राय मल्टी अस्पताल टीकमगढ़ का मालिक है, जहां वह सर्जन के रूप में कार्य करता है और दिनांक 16.07.2020 को आहत को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया था। इस साक्षी ने कहा है कि आहत का परीक्षण का प्रिसक्रिप्शन लिखा था, जिसमें आहत ने बांए हाथ की कलाई में चोट होना बताया था, जिसका एक्सरे उसके द्वारा किया गया था। इस साक्षी ने कहा है कि एक्सरे में आहत को ओल्ड फ्रैक्चर होना प्रतीत होता है। इस साक्षी ने कहा है कि आहत का प्रिसक्रिप्शन प्रदर्श पी 6 है और एक्सरे प्लेट आर्टीकल ए1 है।

14. विवेचक राजेन्द्र रावत अ0सा0—9 ने कहा है कि दिनांक 30.10.2021 को विवेचना के क्रम में घटना स्थल जाकर फरियादी की निशादेही पर नक्शामौका प्रदर्श पी 3 तैयार किया था तथा फरियादी व अन्य साक्षीगण के कथल लेखबद्ध किए थे। इस साक्षी ने कहा है कि दिनांक 21.11.2021 को आरेापीगण हरिराम, घंसू उर्फ घनश्याम, मनमोहन के द्वारा एक—एक बांस की लाठी आर्टीकल ए1 लगायत ए3 पेश करने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 8 लगायत 10 तैयार किया था। इस साक्षी ने कहा है कि विवेचना उपरांत उसके द्वारा

अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

15. बचाव साक्षी हरिराम यादव ब0सा0–1 ने कहा है कि प्रकरण के फरियादी मनसुख, रमेश, हरिराम कुशवाहा, खिल्ला ने उनके साथ मारपीट की थी, जिस पर से उसके चचेरे भाई राजेश ने देहाती नालसी प्रदर्श डी 2 लेखबद्ध कराई थी। इस साक्षी ने कहा है कि उक्त प्रकरण में पुलिस ने उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया था, जिनकी एम.एल.सी प्रदर्श डी 3 लगायत प्रदर्श डी 8 है तथा उनकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श डी 15 लगायत प्रदर्श डी 20 है। इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उनकी चोटों की क्वेरी कराई थी, जिसका क्वेरी आवेदन प्रदर्श डी 10 एवं क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श डी 9 है। इस साक्षी ने कहा है कि उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी 11 एवं नक्शामौका प्रदर्श डी 12 एवं अभियोगपत्र प्रदर्श डी 14 है। इस साक्षी ने कहा है कि मनमोहन, हरिराम, नीलेश, राधे, घंसू एवं जमुना की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श डी 15 लगायत डी 20 हैं।

16. आरोपीगण की ओर से तर्क किया गया है कि साक्षीगण के कथन एक दूसरे से विरोधाभासी हैं एवं घटना के संबंध में भी साक्षीगण के कथन स्थिर नहीं है तथा अभियोजन साक्षी हजारी अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2, कल्लोबाई अ0सा0–3, रमेश कुशवाहा अ0सा0–4, हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 एक ही परिवार के सदस्य है, जिससे उनके कथनों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। आरोपीगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस द्वारा घटना प्रमाणित न होने से एन.सी.आर. पंजीबद्ध किया गया था और झूठ एक्सरे रिपोर्ट बनाकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि साक्षी हजारी उर्फ खिल्ला ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसने अभियुक्तगण से अपने विरूद्ध प्रकरण में राजीनामा के लिए बार बार कहा है। उक्त आधार पर अभियोजन मामला झूठा एवं क्रॉस प्रकरण में राजीनामा हेतु दबाव बनाने हेतु पंजीबद्ध कराया जाना व्यक्त किया गया है।

17. इसके विपरीत् अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया है कि अभियोजन साक्षी/आहतगण हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2 के कथनों का समर्थन रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम कुशवाहा

अ0सा0—5 के कथनों से होता है और उपरोक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होता है।

18. उभय पक्ष के तर्क के आलोक में विचार करें तो साक्षी हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0—1 के कथनों के अनुसार आरोपी जमुना के द्वारा कोहनी मारने से गिरने से उसका बांया हाथ टूट गया था। डॉ. प्रशांत जैन अ0सा0—6 के कथनों के अनुसार आहत हजारी को कोई जाहिरा चोट नहीं थी। डॉ. बी.के. राय अ0सा0—7 के कथनों के अनुसार उसके द्वारा आहत के परीक्षण में पुराना फ्रैक्चर पाया गया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आहत ने एक माह पुरानी चोट बताई थी और उक्त चोट तीन माह पुरानी भी हो सकती है। इस प्रकार डॉ. बी.के.राय अ0सा0—7 के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि आहत हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0—1 को हुआ अस्थिभंग घटना दिनांक को आया था। इसके अतिरिक्त हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0—1 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसका कारोना के कारण एक माह तक एक्सरे नहीं हुआ जबकि वह दौडता रहा, इस साक्षी का उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि कोरोना के कारण एक्सरे न होने के संबंध में अस्पताल से कोई पावती नहीं है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि एक्सरे कराने से पहले किसी भी अस्पताल में या चिकित्सक से इलाज नहीं कराया, स्वतः कहा कि बडागांव अस्पताल से जो दबाई मिली थी, वही वह लेता रहा, किंतु बडागांव के अस्पताल द्वारा जारी एम.एल.सी. प्रदर्श पी 4 के अनुसार आहत हजारी को केवल दर्द की शिकायत थी, तब इस साक्षी का यह कहना कि बडागांव अस्पताल द्वारा दी गई दबाई लेता रहा, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार घटना दिनांक 23.06.2020 के पश्चात् डॉ. बी.के.राय अ0सा0—7 के द्वारा दिनांक 16.07.2020 को इलाज करने तक अर्थात् चोट आने के एक माह तक आहत हजारी उर्फ खिल्ला द्वारा कोई इलाज नहीं कराया गया है, जिससे इस साक्षी को अस्थिभंग होना प्रकट नहीं होता है।

19. जहां तक आहत हरिबाई अ0सा0—2 की चोटों का प्रश्न है, तो डॉ. प्रशांत जैन अ0सा0—6 के अनुसार उसके सिर में खरोंच पाई गई थी, जो 12 घंटे के अंदर की थी और डॉक्टर के कथनों के अनुसार आहत हरिबाई अ0सा0—2 का इलाज घटना के दूसरे दिन दिनांक 23.06.2020 को रात्रि

...........11

01:40 ए.एम. पर किया गया है, जिससे उक्त चोट घटना दिनांक 22.06.2020 के शाम 07:00 बजे आना संभव है। इस प्रकार उपरोक्त कथन से घटना दिनांक को आहत हरिबाई अ0सा0–2 का साधारण प्रकृति की चोट आई है।

20. आरोपीगण की ओर से तर्क किया गया है कि आरोपीगण से लाठी आर्टीकल ए1 लगायत ए3 की जप्ती प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में विवेचक राजेन्द्र रावत अ0सा0–9 ने कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 8 लगायत 10 पर सीलनमूना अंकित नहीं है और जप्तशुदा आर्टीकलों को परीक्षण हेतु नहीं भेजा था। इस प्रकार जब सील नमूना अंकित नहीं किया गया है, तो जप्तशुदा लाठियों के साथ छेडछाड की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से लाठियों की जप्ती से अभियाजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, किंतु न्यायदृष्टांत **रामसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2024 आई.एन.एस.सी. 128** अवलोकनीय है, जिसमें मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने कहा गया है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपराध का हथियार जप्त न होने से अभियोजन मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

21. जहांतक अभियोजन साक्षीगण के कथनों का प्रश्न है, तो हजारी अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2, कल्लोबाई अ0सा0–3, रमेश कुशवाहा अ0सा0–4, हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 के कथनों के अनुसार वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **बब्बन शंकर दफाल बनाम महाराष्ट्रा राज्य 2025 आई.एन.एस.सी. 97** में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी साक्षी का केवल आहतगण से संबंध होने मात्र से उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में केवल अभियोजन साक्षीगण के एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण उनके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

22. इसके अतिरिक्त विवेचक राजेन्द्र रावत अ0सा0–9 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान उसने फरियादी के परिजनों के अतिरिक्त अन्य किसी का कथन लेख नहीं किया है। इस प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं लिया जाना प्रकट होता है, किंतु न्यायदृष्टांत **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस. सी. 1998** में कहा गया है कि सभी स्वतंत्र साक्षीगण के कथन कराना

...........12

आवश्यक नहीं है और सामान्यतः आम व्यक्ति न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में देने में आनाकांनी करता है और केवल इस आधार पर संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। उक्त न्यायदृष्टांत में यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा पुष्टि न होने के आधार पर अभियोजन कहानी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **<u>अब्दुल सईद बनाम म0प्र0 राज्य 2010 (10) एस.सी.सी. 259</u>** में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी आहत व्यक्ति आरोपी को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाएगा।

23. उक्त विधिक स्थिति के आलोक में आहतगण के कथनों की विश्वसनीयता पर विचार करें तो हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने कहा है कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में बता दिया था कि जमुना ने कोहनी मारी तो वह गिर गया था, जिससे उसका बांया हाथ टूट गया था। इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में आरोपी जमुना द्वारा धक्का देने से गिरने का और पंजे में दर्द होने का उल्लेख है, जिससे उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है। इसी प्रकार उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में उसकी बहू भूरी बाई के आने का लेख कराने के तथ्य का खंडन कराने का प्रयास किया गया है, जो कि तात्विक प्रकृति का नहीं है। इस साक्षी के कथन उसके पुलिस कथन से खंडित नहीं हो पाए हैं।

24. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण से अपने विरूद्ध प्रकरण में बार बार राजीनामा के लिए कहा है। इस साक्षी के उक्त कथन से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा प्रकरण दबाव बनाने और राजीनामा के लिए किया गया है, क्योंकि बचाव साक्षी हरिराम की ओर से देहाती नालिस प्रदर्श डी 2 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान प्रकरण के आहतगण द्वारा आरोपीगण के साथ गनेशनगर तिगड्डा पर मारपीट की गई है और नक्शामौका प्रदर्श डी 12 के अनुसार घ टना स्थल के पास आहत खिल्ला का खेत है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से उभय पक्ष के मध्य मारपीट होना प्रकट होता है।

25. कल्लोबाई अ0सा0–3 ने कहा है कि वह हल्ला सुनकर आई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह बाद में घटना स्थल पहुंची थी। इस प्रकार कल्लोबाई अ0सा0–3 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शित

नहीं होती है।

26. हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 के कथनों के अनुसार आरोपीगण उसके घर में घुस आये और लाठी से मारपीट की और जब वह चिल्लाया तो उसकी बहू हरिबाई तो आरोपी हरिराम ने लाठी से सिर में मारा और सभी आरोपीगण ने उन लोगों को लातघूसों से मारपीट की। इस साक्षी के उक्त कथनों का समर्थन आहत हरिबाई अ0सा0–2 के कथनों से होता है। उक्त दोनों साक्षी के कथनो का समर्थन रमेश कुशवाहा अ0सा0–4 एवं हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 के कथनों से होता है।

27. आरोपीगण की ओर से तर्क किया गया है कि आरोपी जमुना यादव क्रॉस प्रकरण में बीच बचाव किया था, जिस कारण से उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त तर्क के आलोक में विचार करें तो अभियोजन साक्षीगण के कथनों के अनुसार आरोपी जमुना पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण के साथ मारपीट की है, किंतु क्रॉस प्रकरण की देहाती नालिस प्रदर्श डी 2 के अनुसार वर्तमान प्रकरण का आरोपी जमुना उक्त प्रकरण में बचाने आया तो वर्तमान प्रकरण के साक्षीगण के द्वारा मारपीट की गई है। हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 के कथनों के अनुसार आरोपी जमुना द्वारा उसे कोहनी से धक्का देने के कारण गिरने से हाथ टूटना व्यक्त किया गया है, जो कि चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से आरोपी जमुना को झूठा फंसाए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। जहां तक शेष आरोपीगण का प्रश्न है, तो क्रॉस प्रकरण के अनुसार ही घटना स्थल के पास वे लोग उपस्थित थे और उक्त साक्षीगण द्वारा उनके द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में कथन अखंडित रहा है, जिससे शेष आरोपीगण हरिराम, घंसू और मनमोहन द्वारा आहतगण हजारी उर्फ खिल्ला एवं हरिबाई के साथ मारपीट किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार आहत हजारी उर्फ खिल्ला को कोई दृश्यमान चोट नहीं है, किंतु खिल्ला अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2, रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 का यह कथन कि आरोपीगण द्वारा खिल्ला के साथ मारपीट की गई स्थिर रहा है और धारा 319 भा.दं.सं. के अनुसार उपहति कारित करने के लिए पीड़ा ही पर्याप्त है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में खिल्ला अ0सा0–1 एवं हरिबाई

अ0सा0–2 के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गई है।

28. यद्यपि आहत खिल्ला अ0सा0–1 की मारपीट करने के संबंध में धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, धारा 323 भा. दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया नहीं गया है, किंतु दं.प्र.सं. की धारा 222(1) या बी.एन.एस.एस. की धारा 245(1) के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप हो, जिनमें कई विशिष्टियां हो और उनमें से कुछ का संयोग छोटा अपराध बनाता हो और वह साबित हो जाए और शेष विशिष्टियां साबित न हो, तब भी उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्धि की जा सकती है, यद्यपि आरोप न बनाया गया हो। उक्त विधिक स्थिति के आलोक में विचार करें तो आहत खिल्ला के संबंध में धारा 323 भा.दं.सं. का आरोप विरचित नहीं किया गया है, किंतु धारा 325 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किया गया है और अस्थिभंग होना प्रमाणित नहीं हुआ है, परंतु मारपीट किया जाना प्रमाणित हुआ है, जिससे धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपीगण की दोषसिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट है कि आरोपीगण हरिराम यादव, मनमोहन यादव एवं घंसू उर्फ घनश्याम द्वारा आहतगण खिल्ला एवं हरिबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। तदानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 निराकृत किए जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न कमाक 3 :–

29. इस संबंध में हजारी उर्फ खिल्ला अ0सा0–1 ने कहा है कि आरोपीगण घर के अंदर आए और मां बहिन की गालियां देने लगे। इसी प्रकार का कथन हरिबाई अ0सा0–2, रमेश अ0सा0–4 ने किया है। धारा 294 भा.दं.सं. के लिए यह आवश्यक है कि उच्चारित किया गया शब्द अश्लील हो और लोक दृश्यमान स्थान पर किए गए हों। उक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा दी गई गालियां किस प्रकार से अश्लील थीं और उक्त साक्षीगण के कथनों के अनुसार गालियां फरियादी के घर के अंदर दी गई थीं, जिससे न तो गालियां अश्लील होना प्रकट होती हैं और न ही लोक दृश्यमान स्थान पर दी जाना प्रकट होती हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर धारा 294 भा.दं.सं. के अपराध आकर्षित नहीं होते हैं। तदानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमाक 4 :–

30. जहां तक धारा 506 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है, तो इस संबंध में हजारी उर्फ खिल्ला ने कहा है कि जब वे रिपोर्ट करने गए तो रास्ते में नीलेश खडा मिला तो उसने रिपोर्ट लेख कराने से मना किया और दूसरे रास्ते से जाने पर हरिराम का भाई सरपंच मिला तो उसने कहा कि मादरचोद रिपोर्ट कराओगे तो बुरा अंजाम होगा। इसी प्रकार का कथन हरिबाई अ0सा0–2, रमेश अ0सा0–3 एवं हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 के द्वारा किया गया है, किंतु उक्त साक्षीगण के कथन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि उक्त धमकी से उन्होने रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं कराई हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के तथ्य एन.सी.आर. रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में भी लेख नहीं हैं, जिससे आरोपीगण द्वारा फरियादी खिल्ला को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करना प्रमाणित नहीं होता है।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 5 :–</u>

31. जहां तक धारा 452 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है तो इस संबंध में खिल्ला अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2, रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 के कथनों के अनुसार आरोपीगण ने खिल्ला के घर में घुसकर मारपीट की है। यद्यपि राजेन्द्र रावत अ0सा0–9 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 3 में हजारी के घर का वह विशेष कक्ष नहीं बनाया गया है, जिसमें कथित तौर पर आरोपीगण द्वारा मारपीट की गई, किंतु नक्शामौका प्रदर्श पी 2 में घटना स्थल फरियादी हजारी का मकान अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपीगण की ओर से खिल्ला अ0सा0–1, हरिबाई अ0सा0–2, रमेश अ0सा0–4 एवं हरिराम कुशवाहा अ0सा0–5 ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना हजारी उर्फ खिल्ला के मकान में नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण घटना के समय फरियादी खिल्ला के मकान में प्रवेश किया था और विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 के निष्कर्ष में यह पाया गया है कि आरोपी हरिराम यादव, घंसू उर्फ घनश्याम यादव एवं मनमोहन यादव के द्वारा आहतगण के साथ उसके घर के अंदर मारपीट की थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि आहतगण को उपहति कारित करने की तैयारी कर आहत खिल्ला के मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। तदानुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 5 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6 :–

32. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 5 के संबंध में की गई विवेचना से प्रकट होता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी हरिराम यादव, घंसू उर्फ घनश्याम यादव एवं मनमोहन यादव द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 323/34(दो शीर्ष) भा.दं.सं. का अपराध कारित किया गया है, किंतु धारा 325/34 भा.दं.सं. का अपराध कारित किया नहीं किया गया है। फलतः आरोपी **हरिराम यादव, घंसू उर्फ घनश्याम यादव एवं मनमोहन यादव** को भा0दं0सं0 की धारा 323/34(दो शीर्ष) भा.दं.सं. के अंतर्गत **दोषसिद्ध** किया गया तथा धारा 325/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया गया।

33. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 व 4 के संबंध में की गई विवेचना से प्रकट होता है कि अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी **हरिराम यादव, घंसू उर्फ घनश्याम यादव एवं मनमोहन यादव** द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 का अपराध कारित किया गया है। फलतः आरोपी हरिराम यादव, घंसू उर्फ घनश्याम यादव एवं मनमोहन यादव को भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

34. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 के संबंध में की गई विवेचना से प्रकट होता है कि अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी **जमना यादव** द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 452, 294, 323/34, 325/34, 506 का अपराध कारित किया गया है। फलतः आरोपी जमना यादव को भा0दं0सं0 की धारा 452, 294, 323/34, 325/34, 506 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

35. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण को सुने जाने के लिये निर्णय कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है।

(अशरफ अली)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

विचारणीय प्रश्न कमांक 7 :—

36. दंड के प्रश्न पर आरोपीगण को सुना गया। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण विगत 4—5 वर्षो से विचारण का सामना कर रहे है, उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। इसलिये उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन किया गया।

37. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अधिकतम दण्ड दिये जाने का तर्क किया है।

38. निवेदन पर विचार किया गया। मामले में आरोपीगण हरिराम, मनमोहन एवं घंसू उर्फ घनश्याम द्वारा फरियादी के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौंच करने तथा घटना की रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वर्तमान समय में इस प्रकार के बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुये आरोपी दंड में उदारता का अधिकारी नहीं माना जा सकता। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण **हरिराम यादव, मनमोहन यादव एवं घंसू उर्फ घनश्याम यादव** के विरूद्ध सिद्ध अपराध के संबंध में निम्न दंडादेश पारित किया जाता है।

39. अतः आहतगण को आई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी **हरिराम यादव, मनमोहन यादव एवं घंसू उर्फ घनश्याम यादव** को प्रमाणित आरोप **धारा—323/34 (दो शीर्ष)** भा.दं.सं. 1860 में प्रत्येक शीर्ष के लिए **500—500/—(पांच सौ—पांच सौ) रूपये के अर्थदंड** से तथा **धारा—452 भा.दं.सं.** के लिए में **न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा** एवं **1500—1500/—(एक हजार पांच सौ—एक हजार पांच सौ) रूपये के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदंड के व्यतिक्रम में 10—10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जाये। आरोपी **हरिराम यादव, मनमोहन यादव एवं घंसू उर्फ घनश्याम यादव** पर अधिरोपित समस्त सजाएं एक साथ भुगताई जावे।

40. आरोपीगण जमानत पर स्वतंत्र होने से जमानत—मुचलके प्रभाव मुक्त किये जाते हैं। मामले में आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र एवं सजा वारंट तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाये।

..........18

41. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति तीन बास की लाठियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत अपील होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	हरिराम यादव	निरंक	निरंक	धारा 452, 294, 323/34, 325/34, 506 भाग–दो भा0दं0सं0	**दोषसिद्ध**	निर्णय की कंडिका कमांक **39** के अनुसार	निरंक
2.	मनमोहन यादव	निरंक	निरंक	यथोक्त	**दोषसिद्ध**	यथोक्त	निरंक
3.	घंसू उर्फ घन श्याम यादव	निरंक	निरंक	यथोक्त	**दोषसिद्ध**	यथोक्त	निरंक
4.	जमना यादव	निरंक	निरंक	यथोक्त	**दोषमुक्त**	निर्णय की कंडिका कमांक **34** के अनुसार	निरंक

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

(अशरफ अली)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

(अशरफ अली)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

ASHRAF ALI
Digitally signed by ASHRAF ALI
Date: 2026.05.14 18:35:47 +0530

....